कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923

Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 2189 / भवन.वि. / न.पा.नि. / 2022 रायगढ़, दिनाँक 10/01/2023

/ / रूचि की अभिव्यक्ति / /

नगर पालिक निगम, रायगढ़ के सीमा क्षेत्र में **बोईरदादर चौंक से शालिनी विद्यालय मार्ग** में अवैध रूप से प्लांटिंग कर विक्रय कार्यवाही किया गया है। उपरोक्त कॉलोनी में भवनों का आंशिक रूप से निर्माण होने के कारण निवासरत व्यक्तियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उसके नियमितीकरण की कार्यवाही छत्तीसगढ़, नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन तथा शर्ते) नियम 2013 के बिन्दु क्र. 15(क) के तहत किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कॉलोनी के मार्ग संरचना एवं विकास कार्य का प्राक्कलन तैयार करने के लिए नगर निगम में पंजीकृत वास्तुविद एवं सक्षम पंजीकृत इंजीनियर से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। स्थल में उपलब्ध सुविधाऐं एवं कॉलोनाईजर नियम 2013 के नियम क्र. 02 (च) के प्रावधान अनुसार कार्यो का प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना होगा। प्राक्कलन नगर निगम में प्रभावशील एस.ओ.आर. के माध्यम से तैयार किये जावेंगे। स्वयं के लेटर पेड में नगर निगम द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक का उल्लेख कर प्राक्कलन राशि में प्रतिशत दर आधार पर दरें प्रस्तुत किया जावें। मार्ग संरचना एवं प्राक्कलन प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य किये जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत राशि देय होगी। उपरोक्त क्षेत्र से भवन निर्माण अनुमति के समय विकास शुल्क की राशि जैसे–जैसे प्राप्त होगी, उसी अनुसार शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त **ऑफर 5000/– रू. का एफ.डी.आर.** जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से देय होगा के साथ बंद लिफाफे में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **ऑफर दर दिनाँक 06.02.2023 को शायं 03:00 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते है। कोरियर या अन्य माध्यम से प्राप्त ऑफर दर स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। शेष जानकारी कार्यालयीन अवधि में भवन शाखा से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायगढ़

पृ. क्रमांक 2189 /भवन वि. / न.पा.नि. / 2022 रायगढ़, दिनाँक 10/01/2023

प्रतिलिपिः–

1. महापौर / सभापति महोदय, न.पा.नि., रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. नेता प्रतिपक्ष / प्रभारी सदस्य (लो.नि.वि.), एम.आई.सी. को सादर सूचनार्थ।
3. नगर निगम रायगढ़ के समस्त पार्षदगण तथा एल्डरमेन को सादर सूचनार्थ।
4. श्री सूरज देवांगन, सहायक भवन अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. सहायक जन संपर्क प्रभारी, न.पा.नि., रायगढ़ उपरोक्त सूचना को स्थानीय प्रसारित होने वाले दो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करावें।
7. श्री प्रदीप तिवारी, भवन शाखा लिपिक, कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहकर जानकारी उपलब्ध करावें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायगढ़

D: SUNIL Bhavan Letter.docx

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923
Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 2190 /भवन.वि./न.पा.नि./2022 रायगढ़, दिनाँक 10/01/2023

//सार्वजनिक सूचना//

नगर पालिक निगम, रायगढ़ के सीमा क्षेत्र में बोईरदादर चौक से शालिनी विद्यालय मार्ग में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भू–खण्डों का विक्रय किया गया है। उपरोक्त भू–खण्डों का विक्रय 31 जुलाई 2019 से प्रारंभ हुआ है तथा वहाँ आंशिक रूप से भवनों का निर्माण हो गया है। उपरोक्त स्थिति के कारण उपरोक्त कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित किया जाता है। उपरोक्त कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़, नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्तें) नियम 2013 के बिन्दु क्र. 15(क) के तहत नियमितीकरण किये जाने जिसमें मार्ग संरचना का विकास एवं मूलभूत सुविधाओं का प्राक्कलन तैयार करने हेतु निजी वास्तुविद से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है। उक्त कॉलोनी क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों, भू–खण्ड क्रेताओं एवं भू–खण्डों का विभाजन कर भूमि विक्रय करने वाले पुराने भू–स्वामी से जिनका उक्त कॉलोनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षहित है, जिसके प्रभावित होने की संभावना हो उनसे सादे कागज में आपत्ति/सुझाव दिनॉक 12.01.2023 को दोपहर 03:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि के बाद नगर निगम द्वारा उपरोक्त क्षेत्र का मार्ग संरचना एवं प्राक्कलन निजी वास्तुविद के माध्यम से तैयार कराया जावेगा, जिससे आंतरिक/बाह्य विकास शुल्क का निर्धारण किया जावेगा, जो उपरोक्त क्षेत्र में भू–खण्ड क्रय करने वालों व्यक्तियों में प्रभावशील होगा। विकास का कार्य प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त राशि से तैयार कराकर संपादित कराया जावेगा। शेष जानकारी नगर निगम रायगढ़ के भवन शाखा में पदस्थ श्री प्रदीप तिवारी से प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायगढ़

पृ. क्रमांक 2190 /भवन वि./न.पा.नि./2022 रायगढ़, दिनाँक 10/01/2023

प्रतिलिपिः–

1. महापौर/सभापति महोदय, न.पा.नि., रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. नेता प्रतिपक्ष/प्रभारी सदस्य (लो.नि.वि.), एम.आई.सी. को सादर सूचनार्थ।
3. नगर निगम रायगढ़ के समस्त पार्षदगण तथा एल्डरमेन को सादर सूचनार्थ।
4. श्री सूरज देवांगन, सहायक भवन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. सहायक जन संपर्क प्रभारी, न.पा.नि., रायगढ़ उपरोक्त सूचना को स्थानीय प्रसारित होने वाले दो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करावें।
7. श्री मुन्ना ओझा, उप अभियंता, न.पा.नि. को निर्देशित किया जाता है कि कॉलोनी में भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं की सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।
8. श्री प्रदीप तिवारी, भवन शाखा लिपिक, कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहकर निवासियों को जानकारी से अवगत करावें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायगढ़